

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2017—फाल्गुन 5, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

खेल और युवा कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्र. एफ 1-5-2016-नौ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों,—

(एक) अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाये, अर्थात्:—

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संचालक	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+8900
2	संयुक्त संचालक	2	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600
3	उपसंचालक	4	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600
	संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	7		-तदैव-
4	खेल अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+4200
	युवक कल्याण अधिकारी	1		-तदैव-
	प्रशासनिक अधिकारी	1		-तदैव-
	जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी	51		-तदैव-
	सहायक संचालक	3		-तदैव-

(दो) अनुसूची-दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाये, अर्थात् :-

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)

अनु. क्रं.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भरती द्वारा नियम 6(क) देखिये	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(ख) देखिए	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा नियम 6 (ग) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खेल और युवा कल्याण	म.प्र. युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा				
		संचालक	1	-	-	अखिल भारतीय सेवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा
2		संयुक्त संचालक	2	-	100 प्रतिशत	उपसंचालक/संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	(उप संचालक	4	-	100 प्रतिशत	(एक पद उपसंचालक कोष एवं लेखा से समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति से भरा जावेगा) शेष पद खेल अधिकारी/युवक कल्याण अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/सहायक संचालक/जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।
		संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी	7	-	100 प्रतिशत	
4		खेल अधिकारी	1	100 प्रतिशत	-	लागू नहीं
		युवक कल्याण अधिकारी	1	100 प्रतिशत	-	लागू नहीं
		प्रशासनिक अधिकारी	1	-	100 प्रतिशत	अधीक्षक/स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 से पदोन्नति द्वारा
		सहायक संचालक	3	67 प्रतिशत	33 प्रतिशत	अधीक्षक/स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 से पदोन्नति द्वारा
		जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	51	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	प्रशासक/वार्डन/प्रशिक्षक से पदोन्नति द्वारा

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitutions of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare (Gazetted) Services Recruitment Rules 1988, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

1. for the existing schedule-I the following Schedule shall be submitted, namely :-

SCHEDULE - I

(See Rule-5)

Sr. No.	Name of Posts Included in the Service	No. of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Director	1	Class I	37400-67000+8900
2	Joint Director	2	Class I	15600-39100+7600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Deputy Director/	4	Class I	15600- 39100+6600
	Divisional Sports and Youth Welfare Officer	7		
4	Sports Officer	1	Class II	9300- 34800+4200
	Youth Welfare Officer	1		-do-
	Administrative Officer	1		-do-
	District Sports and Youth Welfare Officer	51		-do-
	Assistant Director	3		-do-

2. for the existing schedule-I the following Schedule shall be submitted, namely :-

SCHEDULE - II

(See Rule-6)

S. No.	Name of Department	Name of Service	Total no. of duty post	Percentage of the number of duty posts to be filled in		
				By Direct Recruitment Vide Rule 6(a)	By Promotion of substantive member of the serve vide rule 6(b)	By Transfer of Pers. from other serve vide rule 6(c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sports & Youth Welfare	Madhya Pradesh Youth Welfare (Gazetted) Service				
		Director	1	-	-	By Deputation/ Transfer from All India Service

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		Joint Director	2	-	100%	By Promotion from Deputy Director / Divisional Sports and Youth Welfare Officer
3		Deputy Director/	4	-	100%	One post of Deputy Director will be fulfilled by Transfer / Deputation from officers working in equivalent cadre of Treasury & Account Balance 4 posts will be fulfilled by promotion of Sports Officer / Youth Welfare Officer / Administrative Officer / Assistant Director / District Sports and Youth Welfare Officer.
		Divisional Sports and Youth Welfare Officer	7	-	100%	
4		Sports Officer	1	100%		Not Applicable
		Youth Welfare Officer	1	100%	-	Not Applicable
		Administrative Officer	1	-	100%	By Promotion from Superintendent / Stenographer Grade-2
		Assistant Director	3	67%	33%	By Promotion from Superintendent / Stenographer Grade-2
		District Sports and Youth Welfare Officer	51	75%	25%	By Promotion from Administrator/Warden /Trainer

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेड. यू. शेख, उपसचिव.